

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय वृत्त

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

पत्रांक :

/ एम०-57 /

दिनांक:

आवश्यक सूचना

“राजापुर एल०आर०पी० रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना लखीमपुर खीरी” योजना से संबंधित किसानों से प्राप्त आपत्तियों पर व्यक्तिगत सुनवाई परिषद् अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत लखीमपुर खीरी में स्थित एल०आर०पी गेस्ट हाउस/डाक बंगला” में दिनांक 11.04.2013 को प्रातः 10:00 बजे प्रस्तावित थी, जिसे अपरिहार्यकारणों से स्थगित किया जाता है। आपत्तियों की सुनवाई की अगली तिथि बाद में सूचित की जायेगी।

आज्ञा से
आवास आयुक्त


दिनांक : 10-4-13

पृ०सं०: 792

/ एम०-57 / 33

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- जिलाधिकारी (म०) लखीमपुर।
- 2- संयुक्त आवास आयुक्त (भूमि), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-13, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आवश्यक सूचना परिषद् की वेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 5- नोटिस बोर्ड।


अधीक्षण अभियन्ता